INDIA NON JUDICIAL

Government of Uttar Pradesh

IN-UP74053934829876X

सत्यमेव जयते

e-Stamp

17677

Certificate No.	:	IN-UP74053934829876X
Certificate Issued Date	:	02-Apr-2025 04:06 PM
Account Reference	:	NEWIMPACC (SV)/ up14044804/ DADRI/ UP-GBN
Unique Doc. Reference	:	SUBIN-UPUP14044804453195822 53776X
Purchased by	:	SMT RAJWATI DEVI EDUCATIONAL SOCIETY
Description of Document	:	Article 35 Lease
Property Description	:	VILL-ROJA JALALPUR,TEHSIL-DADRI,DISTT-G.B.NAGAR
Consideration Price (Rs.)	:	
First Party	:	BIR SINGH AND SMT RAJWATI DEVI
Second Party	:	SMT RAJWATI DEVI EDUCATIONAL SOCIETY
Stamp Duty Paid By	:	SMT RAJWATI DEVI EDUCATIONAL SOCIETY
Stamp Duty Amount(Rs.)	:	1,800 (One Thousand Eight Hundred only)

सत्यमेव जयते

E-STAMP LOCKED

₹1,800

IN-UP74053934829876X

Please write or type below this line

बीरसिंह राजवती

PF 0001730917

Statutory Alert:

1. The authenticity of this Stamp certificate should be verified at 'www.shcilestamp.com' or using e-Stamp Mobile App of Stock Holding. Any discrepancy in the details on this Certificate and as available on the website / Mobile App renders it invalid.
2. The onus of checking the legitimacy is on the users of the certificate.

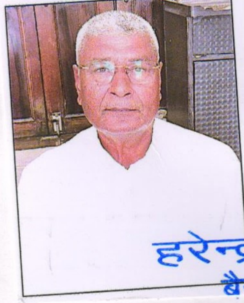

हरेन्द्र नागर
बैनामा लेखक
चै0 नं0—14, तहसील—दादरी
गौतमबुद्ध नगर, मो0: 9350004791

हरेन्द्र नागर
बैनामा लेखक
चै0 नं0—14, तहसील—दादरी
गौतमबुद्ध नगर, मो0: 9350004791

पटटानामा

किरायानामा अंकन (वार्षिक)— 14,400/— रूपये
स्टाम्प अंकन— 1,800/— रूपये
समय अवधि—29 वर्ष
यूनीक कोड— 1201190512000012

मैं कि **श्री बीर सिंह पुत्र लिखीराम व श्रीमती राजवती देवी पत्नी श्री बीर सिंह** निवासीगण ग्राम रोजा जलालपुर परगना व तहसील दादरी जिला गौतमबुद्धनगर। आधार नं0 XXXX XXXX 4661 , XXXX XXXX 7390 **प्रथम पक्ष (सम्पत्ति मालिक)**

एंवम्

श्रीमती राजवती देवी एजुकेशनल सोसाइटी द्वारा प्रबन्धक अनिल कुमार पुत्र श्री बीर सिंह निवासी ग्राम रोजा जलालपुर परगना व तहसील दादरी जिला गौतमबुद्धनगर। आधार नं0 XXXX XXXX 5188

द्वितीय पक्ष (किरायेदार)

विदित हो कि एक किता **भूमि स्थित ग्राम रोजा जलालपुर परगना व तहसील दादरी जिला गौतमबुद्धनगर उ0प्र0 के खाता संख्या 00462 के खसरा सं0 512 रकबा 9870 वर्ग मीटर में से रकबा 4935 वर्ग मीटर व खाता संख्या 00084 के खसरा सं0 513 रकबा 8280 वर्ग मीटर में से 1633 वर्ग मीटर इस प्रकार कुल रकबा 6568 वर्ग मीटर जिसमें 46 कमरे व प्ले ग्राउंड बनी व लैट्रिन व बाथरूम व चारदीवारी बनी हुई है, जिसके हम फरीक अव्वल संक्रमणीय भूमिधर मालिक व काबिज हूँ** तथा प्रथम पक्ष को उपरोक्त **बिल्डिंग** की बाबत हर प्रकार की कार्यवाही करने का पूर्ण अधिकार प्राप्त है। उपरोक्त **बिल्डिंग** को द्वितीय पक्ष किराये पर लेना चाहता है, जिसके लिय प्रथम पक्ष भी सहमत है। दोनों पक्षों के मध्य निम्नलिखित शर्ते व निम्नलिखित किराया तय पाया जिनके दोनो पक्ष व वारिसान पक्षकार पाबन्ध रहेंगे।

1— यह कि उपरोक्त **बिल्डिंग** की किरायेदारी दिनांक 02.04.2025 से शुरू होकर लगातार अग्रिम 29 वर्ष तक कायम रहेगी।

2— यह कि उपरोक्त **बिल्डिंग** का किराया दोनों पक्षों के मध्य अंकन 1,200/—रू0 प्रति माह तय पाया गया है।

3— यह कि द्वितीय पक्ष किरायेदार उक्त **बिल्डिंग** को किरायेदारी अवधि यानी 29 वर्ष से पूर्व खाली करता है तो प्रथम पक्ष को अधिकार होगा कि द्वितीय पक्ष की धनराशि को प्रथम पक्ष जब्त कर लें और उक्त **बिल्डिंग** का कब्जा प्रथम पक्ष, द्वितीय पक्ष किरायेदार से वापिस प्राप्त कर लेंगे।

राजवती

ावेदन सं०: 202500742022569

पट्टा विलेख/ कबूलियतनामा

ही सं०: 1 | रजिस्ट्रेशन सं०: 17677 | वर्ष: 2025

तेफल- 14400 स्टाम्प शुल्क- 1800 बाजारी मूल्य - 0 पंजीकरण शुल्क - 900 प्रतिलिपिकरण शुल्क - 60 योग : 960

ो श्रीमती राजवती देवी एजुकेशनल सोसाइटी द्वारा
ानिल कुमार अधिकृत पदाधिकारी/ प्रतिनिधि,
ुत्र श्री बीर सिंह
यवसाय : अन्य
ावासी: निवासी ग्राम रोजा जलालपुर परगना व तहसील दादरी जिला गौतमबुद्धनगर।

ो, श्रीमती राजवती देवी एजुकेशनल सोसाइटी द्वारा

अनिल कुमार अधिकृत पदाधिकारी/
प्रतिनिधि

यह लेखपत्र इस कार्यालय में दिनाँक 03/04/2025 एवं 06:13:21
M बजे
ाबंधन हेतु पेश किया।

रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के हस्ताक्षर

विकास गौतम .
उप निबंधक :दादरी
गौतम बुद्ध नगर
03/04/2025

गौतम बुद्ध नगर दादरी लिपिक 6
निबंधक लिपिक
03/04/2025

स्टाम्प एवं रजिस्ट्रेशन विभाग, उत्तर प्रदेश

4– यह कि द्वितीय पक्ष किरायेदार प्रथम पक्ष को प्रत्येक माह का किराया प्रत्येक माह की 10 तारीख से 15 तारीख तक अदा करेंगे।

5– यह कि किरायेदार द्वितीय पक्ष किरायेदार को उपरोक्त किराये तलब **बिल्डिंग** में बिना प्रथम पक्ष की लिखित अनुमति के कोई तोड–फोड या रद्दो बदल करने का कोई अधिकार नहीं होगा, यदि तोड–फोड या रद्दोबल से **बिल्डिंग** को कोई क्षति होती है तो उसके हर्जाने की समस्त जिम्मेदारी द्वितीय पक्ष किरायेदार की होगी।

6– यह कि द्वितीय पक्ष किरायेदार को उपरोक्त किराये तलब **बिल्डिंग** में किसी को शिकमी किराये पर रखने का कोई का कोई अधिकार नहीं होगा।

7– यह कि **प्लॉट** की संरचना में किसी भी तरह का नुकसान होने पर उसे पूर्ववत स्थिति में लाने के लिए आवश्यक खर्चे को द्वितीय पक्ष किरायेदार वहन करेगा।

8– यदि किसी भी दो माह का किराया द्वितीय पक्ष किरायेदार द्वारा प्रथम पक्ष को नहीं दिया जाता है तो उस दशा में प्रथम पक्ष को अधिकार होगा कि वह उपरोक्त बकाया किराया द्वितीय पक्ष किरायेदार से वसूल करके उपरोक्त **बिल्डिंग** पर अपना कब्जा हासिल कर लें।

आवेदन सं०: 202500742022569

बही स०: 1 रजिस्ट्रेशन स०: 17677 वर्ष: 2025

निष्पादन लेखपत्र वाद सुनने व समझने मजमुन व प्राप्त धनराशि रु प्रलेखानुसार उक्त
पट्टा दाता: 1

श्री बीर सिंह, पुत्र श्री लिखीराम

निवासी: ग्राम रोजा जलालपुर परगना व तहसील दादरी जिला गौतमबुद्धनगर।

व्यवसाय: अन्य

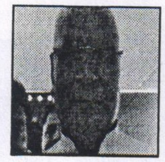

पट्टा दाता: 2

श्रीमती राजवती देवी, पत्नी श्री वीर सिंह

निवासी: ग्राम रोजा जलालपुर परगना व तहसील दादरी जिला गौतमबुद्धनगर।

व्यवसाय: अन्य

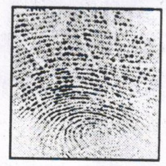

पट्टा गृहीता: 1

श्री श्रीमती राजवती देवी एजुकेशनल सोसाइटी के द्वारा अनिल कुमार, पुत्र श्री वीर सिंह

निवासी: निवासी ग्राम रोजा जलालपुर परगना व तहसील दादरी जिला गौतमबुद्धनगर।

व्यवसाय: अन्य

ने निष्पादन स्वीकार किया । जिनकी पहचान
पहचानकर्ता : 1

श्री ओमेन्द्र सिंह , पुत्र श्री ओमप्रकाश

निवासी: निवासी ग्राम फूलपुर परगना व तहसील दादरी जिला गौतमबुद्धनगर।

व्यवसाय: अन्य

पहचानकर्ता : 2

श्री मनीष , पुत्र श्री कृष्णपाल सिंह

निवासी: ग्राम कुडी खेड़ा परगना व तहसील दादरी जिला गौतमबुद्धनगर

व्यवसाय: अन्य

रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के हस्ताक्षर

ने की । प्रत्यक्षत:भद्र साक्षियों के निशान अंगूठे नियमानुसार लिए गए है ।
टिप्पणी :

विकास गौतम .
उप निबंधक : दादरी
गौतम बुद्ध नगर
03/04/2025

9– यह कि उपरोक्त किराये तलब **बिल्डिंग** का बिजली का बिल द्वितीय पक्ष किरायेदार प्रति माह किराये से अलग अदा किया करेगा।

10– यह कि द्वितीय पक्ष किरायेदार उपरोक्त किराये तलब **बिल्डिंग** में कोई भी इस प्रकार का कार्य नहीं करेगा जिससे **बिल्डिंग** मालिक व अन्य पड़ोसियों को कोई असुविधा या परेशानी हो और न ही द्वितीय पक्ष किरायेदार उपरोक्त **बिल्डिंग** में कोई असामाजिक या गैर कानूनी कार्य नहीं करेगा

11– यह कि किरायेदारी अवधि की समाप्ति से पूर्व यदि प्रथम पक्ष, उक्त **बिल्डिंग** को द्वितीय पक्ष किरायेदार से खाली कराना चाहता है, तो प्रथम पक्ष, द्वितीय पक्ष किरायेदार को एक माह पूर्व का नोटिस देगा, यदि द्वितीय पक्ष खाली करना चाहता है तो किरायेदार प्रथम पक्ष को एक माह पूर्व नोटिस देगा।

12– यह कि उक्त **बिल्डिंग** की बाबत किरायेदारी का जो भी टैक्स होगा वह द्वितीय पक्ष किरायेदार के द्वारा प्रति माह किराये से अलग अदा किया जायेगा।

राजवती

अतः यह पटटानामा गवाहान समक्ष लिख दिया है कि सनद रहे और वक्त जरूरत काम आवें।

गवाह 1– ओमेन्द्र सिंह पुत्र ओमप्रकाश निवासी ग्राम फूलपुर परगना व तहसील दादरी जिला गौतमबुद्धनगर।

गवाह 2– मनीष पुत्र कृष्णपाल सिंह निवासी ग्राम कुडी खेड़ा परगना व तहसील दादरी जिला गौतमबुद्धनगर।

दिनांक– 02/04/2025 मसौदाकर्ता– हरेन्द्र नागर, बैनामा लेखक, तहसील दादरी जिला गौतमबुद्धनगर।

हरेन्द्र नागर
बैनामा लेखक
चै0नं0–14, तहसील–दादरी

आवेदन सं०: 202500742022569

ही संख्या 1 जिल्द संख्या 30954 के पृष्ठ 181 से 198 तक क्रमांक 17677 पर दिनाँक 3/04/2025 को रजिस्ट्रीकृत किया गया ।

रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के हस्ताक्षर

विकास गौतम .
उप निबंधक : दादरी
गौतम बुद्ध नगर
03/04/2025

भारतीय गैर न्यायिक

भारत INDIA

₹ 500 FIVE HUNDRED RUPEES

पाँच र... Rs. 500

NO... ...CIAL

उप-कोषागार दादरी 19 JUN 2017 उप-कोषाधिकारी

हरेन्द्र नागर बैनामा लेखक (गौतम बुद्ध नगर)

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH Y 834118

पटटानामा

किराया	–	500 / –रूपया मासिक
स्टाम्प	–	800 / –रूपया
म्याद	–	दिनांक 27–06–2017 से 26–06–2047ई0तक

हम कि वीर सिंह पुत्र श्री लिखीराम निवासी ग्राम रोजा जलालपुर परगना व तहसील दादरी जिला गौतमबुद्धनगर– फरीक अव्वल पहचान पत्र संख्या--NDT2107712

एवम्

श्रीमती राजवती देवी एजूकेशनल सोसाइटी द्वारा प्रबन्धक अनिल पुत्र श्री वीर सिंह निवासी ग्राम रोजा जलालपुर परगना व तहसील दादरी जिला गौतमबुद्धनगर – फरीक दोयम पहचान पत्र संख्या--NDT2107720

भारतीय गैर न्यायिक

एक सौ रुपये

Rs. 100

ONE HUNDRED RUPEES

रु. 100

सत्यमेव जयते

भारत INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उप कोषागार दादरी 12 JUN 2017 उप कोषाधिकारी

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

DR 354652

2

विदित हो कि स्थित **ग्राम रोजा याकूबपुर परगना व तहसील दादरी जिला गौतमबुद्धनगर** में खाता संख्या–63 के खसरा नम्बर–574मि. रकबा–2540 वर्गमीटर मे से 1270 वर्गमीटर में बिल्डिंग **जिसमें 17 कमरे बने है का मै फरीक अव्वल सकमणीय भूमिधर मालिक काबिज हूँ।** मुझ फरीक अव्वल के उक्त बिल्डिंग आज की तारीखतक हर प्रकार के कर्जे सरकारी व गैर सरकारी आदि से पाक व साफ है किसी अन्य स्थान पर विवादित नही है अतः अब हम फरीक अव्वल ने अपनी समस्त शुद्धि बुद्धि से अपनी उक्त बिल्डिंग को फरीक दोयम को दिनांक 27–06–2017 से दिनांक 26–06–2047 तक के वास्ते अंकन 6000/–रू0 वार्षिक किराये पर देनी तय कर दी है निम्न शर्तो की पाबन्दी हम फरीकैन व हमारे वारिसान पर रहेगी–

भारतीय गैर न्यायिक

एक सौ रुपये Rs. 100

रु. 100 ONE HUNDRED RUPEES

सत्यमेव जयते

भारत INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उप-कोषागार दादरी 12 JUN 2017 उप-कोषाधिकारी

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

DR 354653

1. यह कि तयशुदा बिल्डिंग का किराया फरीक अव्वल को फरीक दोयम द्वारा प्रतिमाह अग्रिम रूप से अदा किया जायेगा।
2. यह कि तयशुदा सम्पत्ति पर फरीक दोयम अपनी सुविधानुसार कार्य करने व कच्चा निर्माण करने का हकदार होगा जिसमें मुझ फरीक अव्वल को कोई आपत्ति नही होगी।
3. यह कि तयशुदा बिल्डिंग की बावत बिजली व पानी इत्यादि के बिल की जिम्मेदारी फरीक दोयम की रहेगी तथा बिल जमा करने के उपरान्त रसीद फरीक अव्वल को दी जायेगी।
4. यह कि तयशुदा बिल्डिंग में फरीक दोयम कोई भी ऐसा परिवर्तन करने का हकदार नही होगा जिसके द्वारा सम्पत्ति को को क्षति पहुंचे।
5. यह कि दोनो पक्षो के विकल्प में एक माह के नोटिस द्वारा किरायेदारी समाप्त की जा सकती है

6. यह कि 30 वर्ष बाद दोनो पक्षो की रजामन्दी पर आगे के किरायेदारी में बढोत्तरी कर समय सीमा बढाई जा सकती है। यदि आगे के लिए समयसीमा नही बढाई गई तो द्वितीय पक्ष मियाद गुजरने पर वर्णित बिल्डिंग को खाली करके प्रथम पक्ष के कब्जे मे दे देगा किसी अन्य को कब्जा आदि नही दिया जायेगा।
7. यह कि फरीक दोयम उक्त बिल्डिंग को किसी अन्य व्यक्ति को किराये पर देने का हकदार नही होगा। उक्त बिल्डिंग स्थित ग्राम रोजा जलालपुर के खसरा नम्बर–512 व स्थित ग्राम रोजा याकूबपुर के खसरा नम्बर–574मि. दोनो आपस में मिली हुई है
8. यह कि उपरोक्त तमाम शर्तो के दोनो पक्षकार व वारिसान पक्षकार पूर्ण रूप से आमिल व पाबन्द रहेगे।

पट्टा गृहीता

Registration No. : 8734 Year : 2,017 Book No. : 1

0201 श्रीमती राजवती देवी एजूकेशनल सोसाईटी द्वारा अनिल वीर सिंह

रोजा जलालपुर तह0 दादरी जि0 गौ0बु0नगर

अन्य

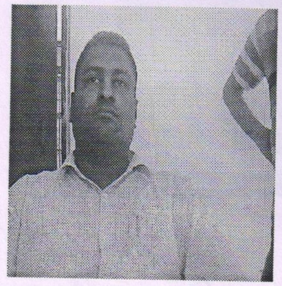

सीमा किरायानामा बिल्डिंग :–

पूरब	–	खसरा नम्बर–512
पश्चिम	–	सडक पुख्ता
उत्तर	–	प्लाट धीरज
दक्षिण	–	प्लाट बाले सिंह

सीमा किरायानामा बिल्डिंग :–

पूरब	–	खसरा नम्बर–512
पश्चिम	–	सडक पुख्ता
उत्तर	–	प्लाट धीरज
दक्षिण	–	प्लाट बाले सिंह

गवाह

Registration No.: 8734   Year : 2017   Book No. : 1

W1 धीरज

लिखीराम

रोजा जलालपुर तह0 दादरी जि0 गौ0बु0नगर

अन्य

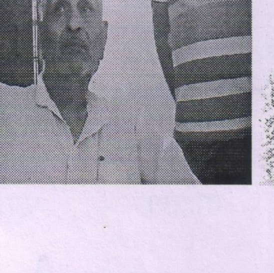
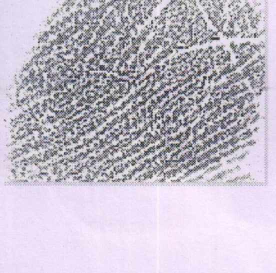

W2 ओमेन्द्र

ओमप्रकाश

मौ0 न्यादरगंज कसबा दादरी जि0 गौ0बु0नगर

अन्य

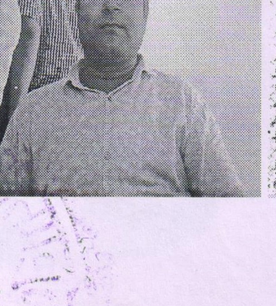

भारतीय गैर न्यायिक

एक सौ रुपये रु. 100 Rs. 100 ONE HUNDRED RUPEES

सत्यमेव जयते

भारत INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उप-कोषागार दादरी 12 JUN 2017 उप-कोषाधिकारी

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH DR 354654

6

अतः यह किरायानामा विलेख बिना किसी जोर दबाव व बहकाव के अपनी समस्त शुद्ध बुद्धि व स्थित चित्त की दशा में लिख दिया कि प्रमाण रहे और समय पर काम आवे/

गवाह 1:–
धीरज पुत्र श्री लिखीराम
निवासी ग्राम रोजा जलालपुर परगना व तहसील दादरी जिला गौतमबुद्धनगर।

गवाह 2:–
ओमेन्द्र पुत्र श्री ओमप्रकाश
निवासी मौ0 न्यादर गंज कस्बा दादरी परगना व तहसील दादरी जिला गौतमबुद्धनगर।

दिनांक 27–06–2017ई0 मसौदाकर्ता:– हरेन्द्र नागर बैनामा लेखक दादरी।

हरेन्द्र नागर बैनामा लेखक दादरी (गौतम बुद्ध नगर)
97/6117